

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उम्प० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उम्प०
2. समस्त जिलाधिकारी, उम्प०

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊः दिनांक- 28 दिसम्बर, 2002

विषय : प्रदेश के स्थानीय निकायों के विकास हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2684/69-1-2002-45(सा)/2002 दिनांक 20-9-02 का संदर्भ ग्रहण करने का काट करे जिसके द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के विकास हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय नगरोदय योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यह योजना प्रदेश के 15 हजार से 1 लाख के मध्य 312 नगर निकायों में छतरी योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत नगर निकायों को इस वर्ष लाभान्वित कराया जायेगा तथा शेष को अगले वित्तीय वर्ष में लाभान्वित करायगा।

उपरोक्त के परिणेत्र में यह स्पष्ट किया जाता है कि पं० दीनदयाल उपाध्याय नगरोदय योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम मद की धनराशि से चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 तथा अगले वित्तीय वर्ष 2003-04 तक ही किया जायेगा। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2003-04 के उपरान्त राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम, पूर्व की भाँति मात्र 55 चयनित नगरों में ही लागू रहेगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-3713(1)/69-1-2002-45 (सा)/2002, तद-दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उम्प०।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश मिश्रा
संयुक्त सचिव